कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) उन्नाव

पत्रांक 1037 /अधिसूचना/ससु0/उन्नाव/2020 दिनॉक– 22 जून 2020

All(RS)

अधिसूचना

23/06/2020

चूँकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा सुविधा या किसी सडक अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम् गति सीमा को उक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहॉं उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन), उन्नाव को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों के उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनॉक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्नाव जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क0सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहॉं से कहॉं तक) जहॉं गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चलक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चलक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	उन्नाव से बिहार वाया अचलगंज, लालकुऑं, बीधापुर, तकिया तक एन. एच.–31	उन्नाव–लालगंज मार्ग मार्ग कुल लम्बाई– 0.00 से 50.00 किमी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	विकमपुर से टेडा, बारासगवर, धानीखेडा, ऊँचगॉंव से बक्सर।	विकमपुर – ऊँचगॉव मार्ग कुल लम्बाई– 0.00 से 21.00 कि0मी0, बिहार –भगवन्त नगर–बक्सर 19.00 से 23.00 लम्बाई 25.00 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	बीघापुर से कैंची मोड, पुरवा, मौरावां।	पुरवा – बीघापुर मार्ग 0.00 से 15.00 किमी0, पुरवा से मौरावॉं 0.00 से 11.00 कि0मी0 लम्बाई 26.00 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

4	बक्सर से बिहार से मोरांवां	बिहार–मोरावां मार्ग 0.00 से 18.00 बिहार से बक्सर मार्ग 0.00 से 23.00 कुल लम्बाई 41 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	अचलगंज से पुरवां–मोरांवां	अचलगंज – पुरवां 0.00 से 24.00 मार्ग कुल लम्बाई 24 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	लोहचा मोड़ से एन.एच.–27 वाया बदरका, आजाद नगर हाईवे पास	अचलगंज–गंगाघाट मार्ग 0.00 से 24.00 कि0मी0 कुल लम्बाई 24.00 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	दही चौकी से पुरवा, मौरावां	मेहनलालगंज मोरावां उन्नाव मार्ग 14.00 से 69.200 कुल लम्बाई 56 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	मौरावां से भल्ला फार्म एन.एच.–29 वाया कालूखेड़ा–कांथा, असोहा	कालूखेड़ा–काथा–मुसन्ना मार्ग 0.00 से 24.00 कुल लम्बाई 24.00 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	करोवन मोड से परियर तक।	उन्नाव–सिरोसी–परियर मार्ग 0.00 से 22.00 कुल लम्बई–22 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	हिलौली–करदहा–मवई – हिलौली	कि0मी0– 0.00 से 24.00 कि0मी0 लम्बाई 24 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	हिलौली–कालूखेड़ा–असरेंदा–हिलौली	कि0मी0– 0.00 से 21.00 कि0मी0 लम्बाई 21 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	उन्नाव से गंजमुरादाबाद वाया चकलवंशी, सफीपुर काली मिट्टी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद (एस.एच.–38)	बिलग्राम–उन्नाव–प्रयागराज 30.00 कि0मी0– 91.530 (गंजमुरादाबाद से उन्नाव कुल लम्बाई–60.530 से 50.00 किमी)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13	दही चौकी से अजगैन, मोहान, लखनऊ एक्सप्रेस रोड। (ओ.डी.आर.)	अजगैन – मोहान 0.00 से 19.02 लम्बाई 19.02 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	मोहान से हसनगंज, मियांगंज बांगरमऊ, एन.एच.–2 मार्ग (एस.एच.–40)	लखनऊ–बांगरमऊ–बिल्हौर सीएच 30.00 – 98.64 किमी0, लम्बाई 68.64 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	हसनगंज से मुंशीगंज, रसूलाबाद मार्ग (एमडीआर–34 सी)	हसनगंज – रसूलाबाद सीएच कि0मी0 0.00 – 15.50 लम्बाई 15.50 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

16	चकलबंशी से परियर मार्ग (एमडीआर–31 सी)	सण्डीला – रसूलाबाद–चकलवंशी–परियर बिठूर सीएच कि0मी0 9.00 – 63.31 लम्बाई 55.31 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17	चकलबंशी से सण्डीला	उपरोक्तानुसार	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18	बांगरमऊ,से सण्डीला मार्ग (ओडीआर)	बांगरमऊ,– सण्डीला सीएच कि0मी0 21.00 – 36.600 लम्बाई 15.600 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19	सफीपुर से मियांगंज तक मार्ग (ओडीआर)	सफीपुर–मियांगंज सीएच कि0मी0 0.00 – 15.365 लम्बाई 15.365 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20	ऊगू से गौरियाकला मार्ग तक मार्ग (ओडीआर)	ऊगू से गौरियाकला सीएच कि0मी0 0.00 – 18.750 लम्बाई 18.750 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21	मोहान–औरास मार्ग मार्ग (ओडीआर)	मोहान–औरास सीएच कि0मी0 0.00 – 20.830 लम्बाई 20.830 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22	काली मिट्टी–एफ–चौरासी से दबौली–शिवराजपुर मार्ग (ओडीआर)	काली मिट्टी–एफ–चौरासी से दबौली–शिवराजपुर सीएच कि0मी0 0.00 – 17.841 लम्बाई 17.841 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
23	सफीपुर–रसूलाबाद	सफीपुर–रसूलाबाद सीएच कि0मी0 0.00 – 13.03 लम्बाई 13.03 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
24	टियर–कुरसठ–गोसापुर –कुतूबपुर–भिखारी कोटी मार्ग	सीएच कि0मी0 0.00 – 36.00 लम्बाई 36.00 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
25	मोहान–मलिहाबाद मार्ग	सीएच कि0मी0 0.00 – 10.075 लम्बाई 10.075 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
26	अचलगंज – गंगाघाट मार्ग	सीएच कि0मी0 9.400 – 15.30 लम्बाई 5.90 कि0मी0	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विर्निदिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम विन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई.आर.सी. कोड के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को

इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वह रात्रि में भी चमके। इसके लिये भी रेट्रो–रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विर्निदिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा –

अ) अग्निशमन वाहन।
ब) एम्बुलेन्स।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा में प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कालम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा–संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू होगी।

(अनिल कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), उन्नाव।

पत्रांक /अधिसूचना/ससु0/उन्नाव/2020 समदिनॉकित–
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ, को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करनें का कष्ट करें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), उन्नाव।